न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–108–2014 / रीडर / 2018 / 874   दिनाँक 8/10/18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. गुलाब पुत्री पेमाराम पत्नी प्रेमाराम उर्फ प्रेमशंकर, जाति–जाट, उम्र–50साल, निवासी–लौरोलीखुर्द, हाल,निवासी–मेड़ता रोड़, तहसील–मेड़ता, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गोपीराम पुत्र उमाराम, जाति–जाट, निवासी–लौरोलीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **108/2014** दायर दिनाँक **25.06.2014**

वादी		प्रतिवादीगण
1. गुलाब पुत्री पेमाराम पत्नी प्रेमाराम उर्फ प्रेमशंकर, जाति—जाट, उम्र—50साल, निवासी—लौरोलीखुर्द, हाल,निवासी—मेड़ता रोड़, तहसील—मेड़ता, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गोपीराम पुत्र उमाराम, 2. पूर्णाराम पुत्री उमाराम, 3. नारायणराम पुत्र नानूराम, 4. अन्नीदेवी पत्नी नानूराम, 5. भागीरथराम पुत्र पूसाराम, 6. भँवराराम पुत्र गोमाराम, 7. देवाराम पुत्र गोमाराम, 8. मोहनराम पुत्र गोमाराम, 9. हीराराम पुत्र गोमाराम, 10. उगमाराम पुत्र रामूराम, 11. रूपाराम पुत्र मनीराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—लौरोलीखुर्द, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 12. कमला पुत्री मनीराम पत्नी भूराराम, जाति—जाट, निवासी—सांखलां की ढाणी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 13. लच्छीदेवी पुत्री मनीराम, पत्नी लिछमणराम, जाति—जाट, निवासी—नावद, तहसील—मकराना, जिला—नागौर, राजस्थान, 14. राजूदेवी पुत्री मनीराम पत्नी हेमाराम, जाति—जाट, निवासी—कुचेटीया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 15. मोटाराम पुत्र रामूराम, जाति—जाट, निवासी—लौरोलीखुर्द, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 16. राजूदेवी पत्नी चेनाराम,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

		17. सुखीदेवी पत्नी बन्नाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–लौरोलीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– **53, 188, R.T.Act.**

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील, वादी।
2. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, वकील, प्रतिवादीगण 01 ता 11 व 15 की ओर से।

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनाँक **07.09.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी के पिता स्वर्गीय पेमाराम के पिता गंगाराम व प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 15 के पिता व दादा स्वर्गीय रामूराम सगे भाई थे।

सरहद लौरोली खुर्द में .वादी के पैतृक खेत खसरा संख्या 148 रकबा 62.07 बीघा, खेत खसरा संख्या 223/148 रकबा 0.18 बीघा कुल रकबा 63.05 बीघा भूमि व खेत खसरा संख्या 144 रकबा 174.00 बीघा है।

सरहद लौरोली खुर्द में खेत खसरा संख्या 148 रकबा 62.07 बीघा, खेत खसरा संख्या 223/148 रकबा 0.18 बीघा कुल रकबा 63.05 बीघा भूमि में से 1/2 भाग में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 का नाम दर्ज हैं तथा शेष 1/2 भाग में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 15 का नाम दर्ज हैं। सरहद लौरोली खुर्द में खेत खसरा संख्या 144 रकबा 174.00 बीघा भूमि में से रकबा 102.11 बीघा में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 का नाम दर्ज है व शेष रकबा 20.10 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 16 व 17 का नाम दर्ज हैं। नकल पेश है।

सरहद लौरोली खुर्द में खेत खसरा संख्या 148 रकबा 62.07 बीघा, खेत खसरा संख्या 223/148 रकबा 0.18 बीघा कुल रकबा 63.05 बीघा भूमि में से 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 144 रकबा 174.00 बीघा में से 25.05 बीघा कुल रकबा 41.05 बीघा हिस्सा वादी के पिता पेमाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। वादी के अलावा पेमाराम के अन्य कोई वारिस नहीं हैं। वादी ही अपने पिता स्वर्गीय पेमाराम की सेवा चाकरी करती थी। वादी की माता का स्वर्गवास जब वादी 12 साल की थी, तभी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व-वाद संख्या 108 / 2014
दायर दिनाँक 25.06.2014 निर्णय दिनाँक 07.09.2018
गुलाब बनाम गोपीराम वगैरा।

हो गया। वादी के पिता पर कर्जा होने के कारण वादी को उसके पिता पेमाराम ने अपने जीवलकाल मे ही दिनांक 29.03.2000 को वादग्रस्त खेताय में से अपना 1/4 हिस्सा का बैचाण कर दिया व वादी ने अपने पिता को उक्त बैचाण की रकम अदा कर दी व उसी दिवस कब्जा भी 1/4 हिस्सा रकबा 41.05 बीघा भूमि पर प्राप्त कर लिया जिस पर वादी आदिन तक काबिज है व वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादग्रस्त वादी के हिस्से पर वादी का ही कब्जा बाद खरीद रहा है मगर वादी अधिकतर ससुराल ही रही व अपनी खरीदसुदा भूमि पर अपने पिता से ही काश्त करवाती रही व हासिल लेती रही। वादी के पिता वृद्धावस्था में वादी के पास ही उसके सुसराल मेड़ता चले गये जहाँ वादी ने ही उनकी सेवा की थी तथा वादी के पिता का दिनांक 09.10.2013 को मेड़ता में ही स्वर्गवास हुआ था लेकिन अपने पिता की इच्छानुसार उनका अन्तिम संस्कार लौरोली खुर्द में ही किया व उनके विधिविधान से क्रियाकर्म किये। वादी के पिता की रहवासी ढाणी खसरा नम्बर 148 रकबा 62.07 बीघा में कदीम से बनी हुई है जिसपर वादी का ही आधिपत्य है मगर विधिवत् बन्टवारा नहीं हुआ है। इसलिए वादी को दावा बाबत् बन्टवारा करना लाजमी आया है।

दिनाँक 01.06.2014 को वादी जब अपने कब्जेकाश्त की भूमि में खाद डालने गयी तब प्रतिवादी मोटाराम व रूपाराम की पत्नी व दीगर प्रतिवादी स्वर्गीय रामूराम के वारिसान आमादा फिसाद हुए व एलानियाँ धमकी दी वे वादी की ढाणी को आग लगा देंगे। वादी के हिस्से में से बोरड़ियों के दो हरे वृक्ष काट लिये हैं जो मौके पर मौजूद है। यदि वादी के जायज हक रकबा 41.05 बीघा काश्त नहीं करने दी तो वादी को अपार हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी।

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सूवटी का स्वर्गवास हो गया है जिसके वारिशान् रिकॉर्ड पर है तथा मनीराम का भी स्वर्गवास हो गया है जिसके वारिशान् को वाद में पक्षकार बना दिया है।

वाद किसी सरकारी भूमि बाबत् नहीं है, आपसी भाई बन्ट का है, इसलिए तहसीलदार डीडवाना को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है व दावा करने से दो माह पूर्व का कानूनी नोटिस उन्हें नहीं दिया गया है।

बिनाय दावा दिनाँक 01.06.2014 को वादी को बेदखल करने की धमकी देने से व दिनाँक 04.06.2014 को नकल खतौनी लेने से पैदा हुई व हो रही है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद लौरोलीखुर्द में खेत खसरा नम्बर 148 रकबा 62.07 बीघा व खसरा नम्बर व खसरा नम्बर 223/148 रकबा 0.18 बीघा कुल रकबा 63.05 बीघा में से 1/4 भाग तथा खसरा नम्बर 144 रकबा 174.00 बीघा में से रकबा 25.09 बीघा का विधिवत् बन्टवारा किया जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 108/2014
दायर दिनाँक 25.06.2014, निर्णय दिनाँक 07.09.2018
गुलाब बनाम् गोपीराम, वगैरा।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करे कि वादी के 1/4 हिस्सा रकबा 41.05 बीघा में काश्त करने से बेदखल न स्वयं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि या एजेन्ट से करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 18 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 16 व 18 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 व 15 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढ़कर सुनाई व समझाई गयी जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री अजीतसिंह राठौड़ ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री कमल किशोर मोट ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के मुताबिक,

(अ) खसरा नम्बर 144 रकबा 174.00 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 41.05 बीघा भूमि गुलाब के व रकबा 82.00 बीघा भूमि पूसाराम के वारिशान् के व रकबा 20.00 बीघा भूमि राजूदेवी व सुखीदेवी के व रकबा 30.15 बीघा रामूराम के वारिशान् के हक में रखी जावे तथा वर्तमान में दर्ज शेष समस्त खातेदारान् का नाम इस रिकॉर्ड में से हटाया जावे।

(ब) खसरा नम्बर 148 रकबा 62.07 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 51.17 बीघा भूमि पूसाराम के वारिशान् के व रकबा 10.10 बीघा भूमि रामूराम के वारिशान् के हक में रखी जावे तथा वर्तमान में दर्ज शेष समस्त खातेदारान् का नाम इस रिकॉर्ड में से हटाया जावे।

(स) खसरा नम्बर 223/148 रकबा 0.18 बीघा सम्पूर्ण को रामूराम के वारिशान् के हक में रखी जावे तथा वर्तमान में दर्ज शेष समस्त खातेदारान् का नाम इस रिकॉर्ड में से हटाया जावे।

वाद के समर्थन में वादी ने, जमाबन्दी ग्राम लौरोली खुर्द सम्वत् 2068–2071 खेवट संख्या 22/22 खसरा नम्बर 148, 223/148 तथा खेवट संख्या 23/23 खसरा नम्बर 144 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् जरिये वकुलाय मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक सहमत हैं इसलिए राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
बोड़ाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 108/2014
दायर दिनाँक 25.06.2014, निर्णय दिनाँक 07.09.2018
गुलाब बनाम् गोपीराम, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके शरहद लौरोलीखुर्द के वादवर्णित खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित/वर्णित अनुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 144 रकबा 174.00 बीघा में से रकबा 41.05 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 82.00 बीघा भूमि का पूसाराम के वारिश प्रतिवादी संख्या 05 को व रकबा 20.00 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 16 व 17 को तथा शेष रकबा रकबा 30.15 बीघा का रामूराम के वारिश प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान में अन्य दर्ज शेष समस्त खातेदारान् का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

(ब) खसरा नम्बर 148 रकबा 62.07 बीघा में से रकबा 51.17 बीघा भूमि का पूसाराम के वारिश प्रतिवादी संख्या 05 को तथा शेष रकबा 10.10 बीघा भूमि का रामूराम के वारिश प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान में अन्य दर्ज शेष समस्त खातेदारान् का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

(स) खसरा नम्बर 223/148 रकबा 0.18 बीघा सम्पूर्ण का रामूराम के वारिश प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान में अन्य दर्ज शेष समस्त खातेदारान् का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 07.09.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **108/2014** दायर दिनाँक **25.06.2014**

वादी		प्रतिवादीगण
1. गुलाब पुत्री पेमाराम पत्नी प्रेमाराम उर्फ प्रेमशंकर, जाति–जाट, उम्र–50साल, निवासी–लौरोलीखुर्द, हाल,निवासी–मेड़ता रोड़, तहसील–मेड़ता, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गोपीराम पुत्र उमाराम, 2. पूर्णाराम पुत्री उमाराम, 3. नारायणराम पुत्र नानूराम, 4. अन्नीदेवी पत्नी नानूराम, 5. भागीरथराम पुत्र पूसाराम, 6. भँवराराम पुत्र गोमाराम, 7. देवाराम पुत्र गोमाराम, 8. मोहनराम पुत्र गोमाराम, 9. हीराराम पुत्र गोमाराम, 10. उगमाराम पुत्र रामूराम, 11. रूपाराम पुत्र मनीराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–लौरोलीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. कमला पुत्री मनीराम पत्नी भूराराम, जाति–जाट, निवासी–सांखलां की ढाणी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. लच्छीदेवी पुत्री मनीराम, पत्नी लिछमणराम, जाति–जाट, निवासी–नावद, तहसील–मकराना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. राजूदेवी पुत्री मनीराम पत्नी हेमाराम, जाति–जाट, निवासी–कुचेटीया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. मोटाराम पुत्र रामूराम, जाति–जाट, निवासी–लौरोलीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		16. राजूदेवी पत्नी बेनाराम, 17. सुखीदेवी पत्नी बन्नाराम, समस्त, जाति– जाट, निवासी– लोरोलीखुर्द, तहसील– डीडवाना, जिला– नागौर, राजस्थान, 18. तहसीलदार डीडवाना, जिला– नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188, R.T.Act.

दिनाँक 07.09.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील, वादी व श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, वकील, प्रतिवादीगण 01 ता 11 व 15 ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके शरहद लोरोलीखुर्द के वादवर्णित खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीटस एण्ड बाउण्डस" के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित/वर्णित अनुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 144 रकबा 174.00 बीघा में से रकबा 41.05 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 82.00 बीघा भूमि का पूसाराम के वारिश प्रतिवादी संख्या 05 को व रकबा 20.00 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 16 व 17 को तथा शेष रकबा रकबा 30.15 बीघा का रामूराम के वारिश प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान में अन्य दर्ज शेष समस्त खातेदारान् का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

(ब) खसरा नम्बर 148 रकबा 62.07 बीघा में से रकबा 51.17 बीघा भूमि का पूसाराम के वारिश प्रतिवादी संख्या 05 को तथा शेष रकबा 10.10 बीघा भूमि का रामूराम के वारिश प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान में अन्य दर्ज शेष समस्त खातेदारान् का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

(स) खसरा नम्बर 223/148 रकबा 0.18 बीघा सम्पूर्ण का रामूराम के वारिश प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान में अन्य दर्ज शेष समस्त खातेदारान् का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

तदनुसार राजस्व रकर्ड दुरूस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.........–.......... मुबलिग...........–.............. बाबत............... ......–...................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.09.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	—		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

संशोधित डिक्री बमुकद्दमें इजराई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 108/2014 दायर दिनांक 25.06.2014

वादी		प्रतिवादीगण
1. गुलाब पुत्री पेमाराम पत्नी प्रेमाराम उर्फ प्रेमशंकर, जाति–जाट, उम्र–50साल, निवासी–लोरोलीखुर्द, हाल,निवासी–मेड़ता रोड, तहसील–मेड़ता, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गोपीराम पुत्र उमाराम, 2. पूर्णाराम पुत्री उमाराम, 3. नारायणराम पुत्र नानूराम, 4. अन्नीदेवी पत्नी नानूराम, 5. भागीरथराम पुत्र पूसाराम, 6. भँवराराम पुत्र गामाराम, 7. देवाराम पुत्र गामाराम, 8. मोहनराम पुत्र गामाराम, 9. हीराराम पुत्र गामाराम, 10. उगमाराम पुत्र रामूराम, 11. रूपाराम पुत्र मनीराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–लौरोलीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. कमला पुत्री मनीराम पत्नी भूराराम, जाति–जाट, निवासी–सांखलां की ढाणी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. लच्छीदेवी पुत्री मनीराम, पत्नी लिछमणराम, जाति–जाट, निवासी–नावद, तहसील–मकराना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. राजूदेवी पुत्री मनीराम पत्नी हेमाराम, जाति–जाट, निवासी–कुचेटीया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. मोटाराम पुत्र रामूराम, जाति–जाट, निवासी–लौरोलीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 16. राजूदेवी पत्नी चेनाराम,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		17. सुखीदेवी पत्नी बन्नाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–लौरोलीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188, R.T.Act.

दिनाँक **29.10.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील, वादी व श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, वकील, प्रतिवादीगण 01 ता 11 व 15 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके शरहद लौरोलीखुर्द के वादवर्णित खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित/वर्णित अनुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 144 रकबा 174.00 बीघा में से रकबा 41.05 बीघा भूमि पश्चिमी भाग का वादीनी गुलाब देवी को व रकबा 82.00 बीघा भूमि रास्ते से पश्चिम में स्व0 पूसाराम के वारिश प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 को व रकबा 20.00 बीघा भूमि उत्तरी हिस्सा का प्रतिवादीगण संख्या 16 व 17 को तथा शेष रकबा रकबा 30.15 बीघा रास्ते से चिपते ही पश्चिम में स्व0 रामूराम के वारिश प्रतिवादी संख्या 06 ता 15 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान में अन्य दर्ज शेष समस्त खातेदारान् का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

(ब) खसरा नम्बर 148 रकबा 62.07 बीघा में से रकबा 51.17 बीघा भूमि पूर्वी हिस्सा स्व0 पूसाराम के वारिश प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 को तथा शेष रकबा 10.10 बीघा भूमि रास्ते से चिपते ही पूर्व में स्व0 रामूराम के वारिश प्रतिवादी संख्या 06 ता 15 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान में अन्य दर्ज शेष समस्त खातेदारान् का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

(स) खसरा नम्बर 223/148 रकबा 0.18 बीघा सम्पूर्ण का स्व0 रामूराम के वारिश प्रतिवादी संख्या 06 ता 15 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान में अन्य दर्ज शेष समस्त खातेदारान् का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत...............
......–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **29.10.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner